न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर.के. जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक–पीबीआर/निगरानी/हरदा/भू.रा./2017/4895 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–11–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक–282/अपील/2016–17

....

सुमित आत्मज अनोखीलाल
निवासी–ग्राम चौकड़ी तहसील खिरकिया,
जिला–हरदा

———आवेदक

विरूद्ध

संतोष आत्मज चम्पालाल
निवासी–ग्राम चौकड़ी तहसील खिरकिया
जिला–हरदा

———अनावेदक

....

श्री आर.पी. यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री संजय पाराशर, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26–06–19 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–11–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोटवार चम्पालाल द्वारा तहसीलदार खिरकिया के समक्ष दिनांक 09–12–2016 को स्वेच्छा से कोटवार पर से त्यागपत्र देकर अपने पुत्र संतोष को नवीन कोटवार नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया। आवेदक सुमित द्वारा भी कोटवार पद हेतु

तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ–56/2016–17 पंजीबद्ध कर नवीन कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 05–05–2017 को आदेश पारित कर आवेदक सुमित आ0 अनोखीलाल को ग्राम चौकड़ी का नवीन कोटवार नियुक्त किया। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 26/अ–56/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28–07–2017 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 282/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 02–11–2017 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसंगत माना है तथा द्वितीय अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों का परिशीलन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि चम्पालाल ग्राम चौकड़ी का ग्राम कोटवार था और उसके द्वारा अपने पुत्र संतोष को कोटवार नियुक्त करने की शर्त पर त्यागपत्र दिया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अनावेदक के पक्ष में आये ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया बल्कि आवेदक को आठवीं पास होने के आधार पर नियुक्त करने के आदेश दिये हैं। संहिता की धारा 230 में कोटवार पद हेतु शैक्षणिक योग्या की अनिवार्यता नहीं की है। कोटवार पद हेतु पढ़ने लिखने की योग्यता को मान्यता प्रदान की गई है। कोटवार पद हेतु पूर्व कोटवार के निकटतम संबंधी को अधिमान्यता दी जानी चाहिए। इन बिन्दुओं पर कई न्यायदृष्टांत भी प्रतिपादित किये गये हैं। तहसीलदार द्वारा बिन्दुओं की अनदेखी कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि चम्पालाल द्वारा राजनैतिक दबाव डालकर अपने पद का दुरूपयोग किया जो कि कदाचरण की श्रेणी में

आता है। तहसीलदार द्वारा अनावेदक को मात्र इसी आधार पर अयोग्य पाने में त्रुटि की है। इस प्रकरण में दुराचार अथवा कदाचरण से संबंधित कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके की पूर्व कोटवार एवं उसके पुत्र के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया हो या उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्क कार्यवाही की गई हो। भूतपूर्व कोटवार दुश्चरित्र था यह तथ्य साबित न किये जाने पर उसके पुत्र की नियुक्ति के लिये निरर्हता आकर्षित नहीं कर सकता। इस संबंध में 1986 आर.एन. 373 अवलोकनीय है। अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 230 तहत बने प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करते हुये विधिवत आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। जहाँ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने प्रकरण का पूर्ण विवेचना कर विस्तापूर्वक एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—11—2017 स्थिर रखा जाता है।

3/3

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,